पत्रांकः 116 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/~~ईएस0–23~~ P-3 दिनांकः 27/01/2012

कार्यालय ज्ञापन

विषयः– पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड़ लि0 में कार्यरत समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कार्मिकों को दिनांक 01 जुलाई 2011 से मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण।

दिनांक 01.01.2006 से वेतन/भत्ते पुनरीक्षण विषयक कारपोरेशन के ज्ञाप सं0 317/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ई–7 दिनांक 21.03.2009 सपठित आदेश सं0 1553/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 18.10.2011, जिसके अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2011 से 51 प्रतिशत महंगाई देय था, के अनुक्रम में पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि0 में कार्यरत समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कार्मिको को दिनांक 01 जुलाई 2011 से निम्नानुसार संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाति हैः–

तिथि, जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जुलाई, 2011	वेतन का 58 प्रतिशत

2. दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन का तात्पर्य निर्धारित वेतन बैण्ड में वेतन का स्तर तथा अनुमन्य ग्रेड वेतन को जोडकर जो धनराशि होगी उसे ही मूल वेतन माना जायेगा।

3. स्वीकृत/संशोधित मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि दिनांक 01 जुलाई, 2011 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के (सेवानिवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को छोडकर) सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा दिनांक 01 जनवरी, 2012 से नकद भुगतान किया जायेगा।

4. स्वीकृत/संशोधित मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को गणनाक्रम में निकटतम रूपये तक पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक का पूरा रूपया माना जायेगा और 50 पैसे से कम धनराशि को शून्य मानकर छोड़ दिया जायेगा।

5. ई0पी0एफ0 से आच्छादित कार्मिकों को दिनांक 01.07.2011 से 31.12.2011 तक देय महंगाई भत्ते के एरियर की 12 प्रतिशत धनराशि ई0पी0एफ0 अभिदान के रूप में कटौती करने के पश्चात् शेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक भुगतान की गयी धनराशि को न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के बाण्ड अथवा एन0एस0सी0 या पी0पी0एफ0 के रूप में निवेशित कर तत्सम्बन्धी रसीद अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी को एक माह के भीतर प्रस्तुत करेंगें।

क्रमशः......2

6. अवकाश नकदीकरण में अनुमन्य मंहगाई भत्ते को उसी प्रकार माना जायेगा जिस प्रकार कार्यावधि (Duty Period) के लिये माना जाता है।

7. इस आदेशानुसार स्वीकृत / संशोधित बढे हुए मंहगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु महाप्रबन्धक(वित्त), कारपोरेट मुख्यालय, देहरादून द्वारा अलग से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 116 ध्मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / ईएस0–23 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन–1, वसन्त विहार इन्कलेव, देहरादून।
2. निदेशक (परियोजना / परि0एवंअनु0), पिटकुल, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक(वित्त)(प्रभारी), पिटकुल, 7–बी, लेन–1, वसन्त विहार इन्कलेव, देहरादून।
4. समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
5. उपमुख्य कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, 7–बी, लेन–1, वसन्त विहार इन्कलेव, देहरादून।
6. उपमुख्य लेखाधिकारी, पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत् आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. ~~समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,~~..................................।
9. कार्यालय ज्ञापन पंजिका / कट फाइल।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)